



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012168/FNOC/COL/2023/6921
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Oct-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : CAMPIAN SCHOOL SOCIETY

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-
निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.

MANAGER
CAMPION SCHOOL
E-7, Arera Colony, Bhopal

E-7

PRINCIPAL
CAMPION SCHOOL
E-7, ARERA COLONY /
BHOPAL - 462016

MANAGER
CAMPION SCHOOL
E-7, Arera Colony, Bhopal

Principal
CAMPION SCHOOL
E-7, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012168/FNOC/COL/2023/6921

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Oct-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CAMPIAN SCHOOL SOCIETY

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टएड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्ता का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फायर प्लान अप्रूवल 02 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल प्रमाणपत्र में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जा सके और सदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति त्रायसेंस प्रदाय किया जावेगा।

MANAGER
CAMPION SCHOOL
E-7, Arera Colony, Bhopal

MANAGER
CAMPION SCHOOL
E-7, Arera Colony, Bhopal